न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर संभाग सागर

सुरेश तनय पूरनलाल तिबारी , निग – 3011 – I – 16

सभी निबासी– ग्राम बनहट , तहसील खुरई, जिला सागर

....आवेदक

वनाम

1– कैलाश पिता जगन्नाथ प्रसाद दुबे ,

निबासी– ग्राम सिलौधा, तहसील खुरई, जिला सागर

2– चंन्द्रप्रकाश पिता पूरनलाल तिबारी ,

3– रामदेवी पुत्री पूरनलाल तिबारी,

दोंनों निबासी– ग्राम बनहट , तहसील खुरई जिला सागर

.... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता :–

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है :–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय खुरई जिला सागर द्वारा प्र0 क0 41/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21/06/2016 से परिवेदित होकर कर रहा है, जिसके साथ धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र संलग्न है। निगरानी सुनवई का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि, रिस्पॉ0 द्वारा एक अवधि वाधित अपील तहसीलदार खुरई जिला सागर द्वारा प्र0 क0 71/अ–6/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 31/07/2012 से परिवेदित होकर करीब 04 साल बाद अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 03/01/2016 को प्रस्तुत की थी, जो कि अवधि वाहय थी तथा अनावेदक कमांक एक को उपरोक्त आदेश की प्रारंभ से ही जानकारी थी। क्योंकि उपरोक्त भूमि के संबंध में और भी कई प्रकरण बिभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं। इस प्रकरण में भी बिचारण न्यायालय में उपस्थित रहा है।

3–, यह कि उपरोक्त अपील के साथ रिस्पॉ0 एक द्वारा उसके द्वारा जो धारा 05 म्याद अधिनियम का आवेदनपत्र प्रस्तुत किया था, उसमें बिलंब का समाधानप्रद कारण भी नहीं

B.O.R.

29 AUG 2016

कार्यालय कमिश्नर, सागर संभाग, सागर (म. प्र.)

84
29/08/16

राजेन्द्र पटेरिया (एड.)
बार रूम क. 1 सिविल कोर्ट सागर
नि०-142, मनोरमा कॉलोनी, सागर
मो.- 9425451002

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 3011–एक/2016 जिला सागर

सुरेश आदि विरूद्ध कैलाश आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी खुरई जिला सागर के प्रकरण कमांक 41/अ–6/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 21–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	